



**Right to Food Campaign
(Secretariat)**
24, Block A, Adhchini, Sarvodaya Enclave, New Delhi – 110017, India

सेवा में

19 मार्च, 2020

श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री महोदय

प्रधान मंत्री को खुला पत्र

गरीब और कमजोर पर कोवीड -19 के प्रभाव से राहत के लिए तत्काल कदम की मांग

मान्यवर,

जैसा कि पूरी दुनिया कोवीड -19 के वैश्विक महामारी से जूझ रही है, भारत सरकार भी इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठा रही है जैसे स्कूल और कॉलेज बंद करना, सिनेमा हॉल और मॉल बंद करना, सीमा पर आवाजाही को प्रतिबंधित करना, हाथ धोने और सामाजिक दूरी को प्रोत्साहित करना आदि। मुख्य रणनीति के तौर पर सरकार के निर्देशन पर प्रशासन कई यथा संभव प्रयास कर रहा है, जिसमें की सार्वजनिक स्थानों को बंद करना और लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के अपील कुछ प्रयास हैं। उदाहरण के लिए, घर से काम करना, एक उपाय है जो कई कार्यालय एवं कंपनी प्रस्तावित की है एवं लागू कर रही हैं। जब ये कदम उठाए जाते हैं, तो हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि हमारे देश में ज्यादातर लोग काम से दूर नहीं रह सकते हैं और / या उनके पास यह विकल्प नहीं है, जो 'सामाजिक दूरी' की अनुमति देता है। यह इन लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा, एवं उनकी आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं होगा।

इसलिए यह महामारी गरीबों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए गंभीर आर्थिक संकट का कारण बन सकता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह समस्या आर्थिक विकास की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के साथ आया है। भारत पहले से ही कुपोषण के भारी बोझ को झेल रहा है, और कई लोग टी.बी. जैसे संक्रमण से पीड़ित हैं, जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अभी तक नहीं पहुंच पाई है।

इस संदर्भ में, हमारा मानना है कि कोवीड -19 से निपटने की प्रतिक्रिया, वास्तव में स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को विकसित करने और बढ़ाने के लिए, एवं मूलभूत परिवर्तन करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जिला अस्पतालों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बेहतर ढंग से तैयार होना चाहिए और ज्यादा देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए आईसीयू की सुविधा होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पहली पंक्ति में कार्यरत कर्मचारियों को इसके लिए सशक्त करना चाहिए की ताकि वे आने वाले ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार हो सकें। ऐसी रिपोर्ट हैं कि आइसोलेशन वार्ड जिसका मतलब बीमारी के आगे प्रसारण को रोकना है जिनकी वर्तमान में स्थिति संतोषजनक नहीं है, उन्हें और भी मज़बूत करने की आवश्यकता है। संदिग्ध मामलों में अत्यंत सावधानी, साफ बिस्तर और शौचालय, पर्याप्त सैनिटाइजर और साबुन,

मास्क और दस्ताने, उचित भोजन, और एक संवेदनशील स्टाफ की आवश्यकता है। हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में लोगों के विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए इस कठिन वक्त की जवाबदेही लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इन विषम समय में जब देश और दुनिया भर में आर्थिक मंदी चल रही है, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करें और नए कार्यक्रमों को लाएं। हमें स्वास्थ्य, रियायती राशन, दवाओं और अन्य आवश्यक ज़रूरतों से संबंधित सेवाएं देने के लिए नए तंत्र के बारे में सोचना चाहिए। हम मानते हैं कि हमें इन कठिन समय के दौरान लोगों की सहायता के लिए अपनी खाद्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन सभी लोगों को मजदूरी का मुआवजा दिया जाये जो महामारी के कारण अपने काम पर जाने में असक्षम हैं। औपचारिक नियोक्ताओं को अपने सभी कर्मचारियों को छुट्टी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के हॉस्टल, काम करने वाले लोगों के हॉस्टल जैसे संस्थान और ऐसी जगह जहाँ लोग अभी भी रहते हैं उन्हें जबरदस्ती बंद नहीं करना चाहिए और भोजन, पानी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रखने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था इस वजह से एवं ऐसी जगह के लिए ज़रूरी हो जाता है जब की सरकार द्वारा यात्रा करने पर प्रतिबन्ध है या फिर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं।

खाद्य और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में, हम मांग करते हैं कि निम्नलिखित को तुरंत शुरू किया जाए:

1. खाद्यान्नों के आवंटन में 50% की वृद्धि करके पीडीएस पात्रताएँ बढ़ाएँ, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दाल एवं तेल भी शामिल करें। वर्तमान संदर्भ में हाथ धोने के महत्व को देखते हुए सरकार को पीडीएस के तहत साबुन देने का प्रावधान करना चाहिए।
2. प्राथमिकता / अंत्योदय कार्ड के लिए आवश्यकताओं में छूट दें। सूखे के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ हर व्यक्ति जिसे राशन की आवश्यकता है राशन दूकान से इस अवधी के दौरान खरीद सके।
3. राशन दुकानों में भीड़ को कम करने के लिए यह व्यवस्था करें कि हर कोई अपने पीडीएस राशन को कई माध्यमों से प्राप्त कर सके, छोटे समूहों में लोगों को राशन दिया जाये, राशन दूकान प्रतिदिन चालू रहे, या फिर राशन को घर पहुँचने की व्यवस्था करने के बारे में विचार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को रखा जाना चाहिए कि बेघर, विशेष रूप से बच्चे एवं बुजुर्ग, इस मुश्किल समय में पीडीएस से बाहर नहीं हो जायें। यह ऐसे लोग हैं जो “घर में रहने” की आवश्यकता के कारण सबसे घातक परिणामों का सामना करेंगे।
4. कई राज्यों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए हैं। छोटे बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाएं सहित सभी लक्षित समूहों को पोषण / भोजन घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। घर के राशन के रूप में अंडे, दाल, तेल और अन्य वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है और 18 मार्च को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि “यह आवश्यक है कि सभी राज्यों को एक समान नीति के साथ सामने आना चाहिए ताकि कोवीड -19 के प्रसार को रोका जा सके। बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और नर्सिंग और धात्री महिलाएं के लिए योजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होती हैं।”
5. वृद्ध लोगों को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए (यह राशि वर्तमान में वैसे भी बहुत कम है) और समय पर लोगों तक पहुंचने के लिए उनके लिए व्यवस्था के बारे में सोचा चाहिए, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे कि विधवा और विकलांगता पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए।

6. जैसा कि कुछ राज्य पहले ही कर चुके हैं, सभी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग होने वाले बायोमेट्रिक उपकरणों / PoS मशीनों का उपयोग बंद कर दें क्योंकि इस वजह से संक्रमण फैलने का डर बढ़ जाता है।

7. इस समय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों को अधिक सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि उनकी आजीविका में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने का भय है। प्रत्येक शहरी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और मनरेगा मजदूर को इस संकट के समय प्रति माह कम से कम तीन हजार रुपए नकद हस्तांतरण किया जाना चाहिए। हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली का सीधे उपयोग करके उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करके सरकार में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए यूपी सरकार की मंशा का स्वागत करते हैं।

8. पका हुआ भोजन कई तंत्रों के माध्यम से निराश्रित, बेघर और प्रवासियों सहित लोगों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

9. सरकार को शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थान जैसे की धाबी, खाद्य दूकान, मेट्रो स्टेशन इत्यादि में हाथ धोने की सुविधा (पर्याप्त पानी और साबुन के साथ) उपलब्ध करानी चाहिए। एक मैपिंग यह भी सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पानी की आपूर्ति (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सुविधाओं के साथ) सुचारू रूप से की जानी चाहिए।

10. जबकि केरल सरकार ने हाल ही में जेल में बंद कैदियों का सहयोग लेते हुए मास्क की कमी को दूर करने का वादा किया है, हमें भारतीय जेलों में रहने की स्थिति के बारे में सावधान रहना चाहिए। अतीत में भारतीय जेलों ने राशन एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते दंगे जैसे हालात देखे हैं। सरकार को जेलों को पर्याप्त राशन की पूर्ति करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केरल सरकार द्वारा शुरू की गई नवीन जेल श्रम व्यवस्थाओं के लिए उचित मजदूरी मुआवजे की गुंजाइश हो।

जैसा कि सरकार इस महामारी से निपटने के लिए अनेक उपाय कर रही है, हमें उम्मीद है कि उपरोक्त सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भारतीय संदर्भ में जहां स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं अपर्याप्त हैं, रोजगार अधिकांशतः अनिश्चित है और कई लोग एवं समुदाय भुखमरी का दंश झोल रहे हैं, ऐसे संकट में हमें अंतिम व्यक्ति के बारे में पहले सोचना चाहिए। हमारे सभी प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाने चाहिए हैं कि उपरोक्त उपाय उन तक पहुंचें और ताकि कोवीड -19 से लड़ने के हमारे प्रयास अधिक न्यायसंगत, सतत स्वास्थ्य सुविधा की तरफ एवं | सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने की ओर हों।

आयशा , गंगाराम पैकरा , कविता श्रीवास्तव , और दीपा सिन्हा

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान की संचालन समिति की ओर से